संख्या-4/2019/6/12/73टी.सी.- IV-का-2

प्रेषक,

मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक: 08 अप्रैल, 2019

विषय:- उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को तात्कालिक आर्थिक संकट से उबारने हेतु *"उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974"* (यथासंशोधित) कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत की गई है। उक्त नियमावली के नियम-5(1)(तीन) में निम्नवत् प्राविधान है:-

> सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक के पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है:
>
> परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्याय-संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है:
>
> परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए सम्बन्धित व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा के अवसान के पश्चात सेवायोजन के लिए आवेदन करने में विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों/सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लिए सभी तथ्यों पर विचार करते हुए समुचित निर्णय लेगी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि मृतक आश्रित सेवायोजन हेतु समय-सीमा में शिथिलता आवश्यक है, तो आवेदक द्वारा विलम्ब से दिये गये आवेदन का औचित्यपूर्ण परीक्षण कर विभागीय अभिमत सहित प्रस्ताव कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ऐसे समस्त मामलों में कार्मिक विभाग द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्तावों को मा. मुख्य मंत्री जी के निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

भवदीय,
मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 4(1)/2019/6/12/73टी.सी.- IV-का-2-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि- समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,
अरविन्द मोहन चित्रांशी।
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।